

संचिका संख्य-9 विविध-13-15/2017

बिहार, सरकार।

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

राज्य के अस्पतालों में चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को 24 X 7 सेवा के सुचारु संचालन हेतु उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए दूरभाष द्वारा अनुश्रवण के क्रम में कुल 16 चिकित्सा पदाधिकारी अनुपस्थित पाये गये थे। सभी चिकित्सा पदाधिकारियों से विभागीय पत्रांक- 536(9) दिनांक- 22.05.2017 एवं स्मार पत्र- 768(9) दिनांक- 14.07.2017 के द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई थी जिसमें मात्र 3 चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब दिया गया।

3 चिकित्सा पदाधिकारियों में मात्र 1 चिकित्सा पदाधिकारी डा० एकवाल खाँ, चि०पदा०, प्रा० स्वा० केन्द्र, पंडारक, पटना का स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया। शेष का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया है।

13 चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण का उत्तर समर्पित नहीं किया गया है। इन्हें अपना प्रतिउत्तर समर्पित करने के लिए स्मारित भी किया गया लेकिन उनसे कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हो सका। इससे प्रतीत होता है कि उन्हें अपने बचाव बयान में कुछ नहीं कहना है, अतः अनुश्रवण के दौरान अद्योउल्लेखित अनुपस्थित पाये गये चिकित्सा पदाधिकारियों के विरुद्ध निम्नलिखित लघु दंड अधिरोपित करने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है :-

(1) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक

(2) अनुपस्थिति तिथि (एक दिन) के वेतन के निकासी पर रोक (लेकिन इसकी गणना पेंशन भुगतान के लिए की जायेगी)।

क्र०	नाम/पदनाम	अनुपस्थित होने की तिथि/पाली	संस्थान का नाम
1	डा० धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी,	07.04.17 / प्रथम पाली	सदर अस्पताल, जमुई
2	डा० अमोद कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी,	07.04.17 / प्रथम पाली	सदर अस्पताल, जमुई
3	डा० मनोज कुमार झा, चिकित्सा पदाधिकारी,	07.04.17 / प्रथम पाली	सदर अस्पताल, जमुई
4	डा० प्रेम प्रकाश शंकर, चिकित्सा पदाधिकारी,	07.04.17 / प्रथम पाली	सदर अस्पताल, जमुई
5	डा० थानिस कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी,	07.04.17 / प्रथम पाली	सदर अस्पताल, जमुई
6	डा० उमाशंकर शर्मा, दन्त चिकित्सक (संविदा),	07.04.17 / प्रथम पाली	रेफरल अस्पताल, भोरे, गोपालगंज
7	डा० सुरेन्द्र राय, चिकित्सा पदाधिकारी,	07.04.17 / द्वितीय पाली	प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र, तेघड़ा, बेगुसराय
8	डा० रोहीत प्रियदर्शी, दन्त	13.04.17 /	पी०एच०सी० बिहीया, भोजपुर

	चिकित्सक (संविदा),	प्रथम पाली	
9	डा० संजय कुमार, डी०सी०एच० (संविदा),	20.04.17 / प्रथम पाली	सदर अस्पताल, बेगुसराय
10	डा० सुरेन्द्र कुमार सुधाकर, चिकित्सा पदाधिकारी,	26.04.17 / प्रथम पाली	अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा
11	डा० रीतेश कुमार तरुण, चिकित्सा पदाधिकारी (संविदा),	26.04.17 / प्रथम पाली	अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा
12	डा० वैदेही, चिकित्सा पदाधिकारी,	29.04.17 / प्रथम पाली	सदर अस्पताल, शेखपुरा
13	डा० शंकर प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी,	27.04.17 / द्वितीय पाली	पी०एच०सी०, मुसहरी, मुजफ्फरपुर
14	डा० विजय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी,	03.05.17 / प्रथम पाली	पी०एच०सी०, सिंघवारा, दरभंगा
15	डा० अनिल कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, (संविदा),	17.05.17 / प्रथम पाली	पी०एच०सी०, पीरो, भोजपुर

उपरोक्त सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को दंड अधिरोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

17.10.17

ज्ञापांक-19410(9)

सरकार के अवर सचिव
स्वा० पटना, दिनांक- 09/10/2017

- प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले०ए०ह०) बिहार पटना / अवर सचिव, वित्त (वे०दा०नि०को०) विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी शेखपुरा, भोजपुर, बाँका, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, बेगुसराय, जमुई, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सिविल सर्जन शेखपुरा, भोजपुर, बाँका, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, बेगुसराय, जमुई, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी शेखपुरा, भोजपुर, बाँका, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, बेगुसराय, जमुई, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री (स्वास्थ्य) के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वा० के निजि सहायक / निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना / प्रशाखा पदाधिकारी- 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17 एवं 18 (प्रो० कोषांग) स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेबसाइड पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17.10.17

सरकार के अवर सचिव
स्वा० पटना